उत्तर प्रदेश शासन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

संख्या-81/2019/1700(ए)/65-2-2019-185/97

लखनऊः दिनांक 21 जून, 2019

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-162 के अधीन प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली-1998 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों को अवक्रमित करते हुये एक नवीन नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	**संक्षिप्त नाम-**	इस नियमावली का नाम **"उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली-2019"** होगा।
2.	**उद्देश्य एवं प्रयोजन-**	दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की बसों के माध्यम से आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना।
3.	**प्रारम्भ-**	यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।
4.	**परिभाषा-**	इस नियमावली के अन्तर्गत जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हों, इस नियमावली में:- (क)-"नियमावली" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली-2019" से है। (ख)-"बसों" का तात्पर्य निगम की बसों से होगा, जो निगम द्वारा उसके अधीन प्रदेश या उसके बाहर विभिन्न मार्गों पर चलायी जाती हैं। (ग)-"निदेशक" का तात्पर्य "निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश" से है। (घ)-"निगम" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम" से है। (ड.)-"राज्य" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश" राज्य से है।
5.	**पात्रता**	इस नियमावली के अन्तर्गत केवल उन्हीं दिव्यांगजन को सुविधायें अनुमन्य होंगी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में परिभाषित दिव्यांगताओं से प्रभावित हों और उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

6.	**अनुमन्य सुविधायें**	(क)-निगम द्वारा संचालित साधारण बसों में दिव्यांगजन को नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा बसों के अन्तिम गन्तव्य स्थल तक, चाहे वह प्रदेश की सीमा के अन्दर हो या प्रदेश की सीमा के बाहर हो, अनुमन्य होगी। (ख)-80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता अथवा बहु दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति हेतु एक सहयोगी को भी नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। (ग)-यह सुविधा वायुशीतित, शयनयान, वातानुकूलित तथा वीडियोयुक्त बसों पर लागू नहीं होगी। (घ)-इस यात्रा हेतु संबंधित दिव्यांगजन तथा उसके सहयोगी को यात्री कर का भुगतान नहीं करना होगा। (च)-यह सुविधायें दिव्यांगजन को पूरे वित्तीय वर्ष में की गयी यात्रा हेतु अनुमन्य होगी।
7.	**शर्तें**	यात्रा प्रारम्भ करते समय दिव्यांगजन द्वारा आधार कार्ड एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा निर्गत यू0डी0आई0डी0 कार्ड मूल रूप में निगम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को अवलोकित कराया जायेगा।
8.	**भुगतान की व्यवस्था**	(क)-निगम के अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस नियमावली में दी गयी पात्रता एवं शर्तों की व्यवस्था के अधीन दिव्यांगजन को मात्र इस नियमावली द्वारा अनुमन्य सुविधायें ही दी जा रही हैं। (ख)-निगम के अधिकारी/कर्मचारी दिव्यांगजन द्वारा की जा रही यात्रा का पूर्ण विवरण तथा संबंधित दिव्यांगजन को मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/आधार कार्ड/भारत सरकार द्वारा निर्गत यू0डी0आई0डी0 कार्ड संख्या का अंकन अभिलेखों में किया जायेगा और यात्रा करने वाले दिव्यांगजन के हस्ताक्षर कराकर सूची संरक्षित की जायेगी। (ग)-निगम द्वारा इस नियमावली के तहत दिव्यांगजन द्वारा की गयी यात्राओं के बारे में त्रैमासिक बिल भुगतान हेतु निदेशक को प्रस्तुत किये जायेंगे। (घ)-बिल प्रस्तुत करते समय निगम द्वारा निम्न प्रमाणक भी दिया

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		जायेगा:- (i)-निगम द्वारा भुगतान हेतु जो बिल प्रस्तुत किये जा हैं, वह इस नियमावली में दी गयी पात्रता एवं शर्तों की व्यवस्था के अधीन दिव्यांगजन को मात्र इस नियमावली द्वारा अनुमन्य सुविधाओं से संबंधित है। (ii)-निगम द्वारा प्रस्तुत बिल के द्वारा जिस धनराशि की मॉग की जा रही है, वह दिव्यांगजन की वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के बारे में है। (च)-निगम द्वारा दिव्यांगजन को उपलब्ध करायी जा रही नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा के लिये केवल वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के दण्ड ब्याज की देयता अनुमन्य नहीं होगी। (छ)-निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल का भुगतान सम्यक परीक्षणोपरान्त निदेशक द्वारा किया जायेगा। (ज)-निगम द्वारा बिल प्रस्तुत करते समय इस सुविधा का उपभोग करने वाले लाभार्थियों की एक सूची भी उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर निदेशक द्वारा यथा-आवश्यकता भौतिक सत्यापन की कार्यवाही करायी जा सकेगी। (झ)-यदि किसी स्तर पर भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है, तो उसके लिए निगम उत्तरदायी होगा।
9.	**निरसन और व्यावृत्ति**	इस नियमावली के प्रभावी होने से पूर्व से प्रचलित सभी नियमावलियॉ/कार्यकारी निर्देश/शासनादेश निष्प्रभावी हो जायेंगे। किन्तु उन व्यवस्थाओं के तहत जो सुविधायें अनुमन्य करायी गयी हैं, वह इस नियमावली की व्यवस्थाओं के तहत की गयी समझी जायेंगी।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-81/2019/1700(ए)165-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
(3) निजी सचिव, मा0 मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।
(4) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0, शासन।
(6) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0, शासन।
(7) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0, शासन।
(8) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, उ0प्र0, लखनऊ।
(10) समस्त मण्डलायुक्त (द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग)।
(11) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(12) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
(13) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग)।
(14) समस्त मण्डलीय उप निदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0)।
(15) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/3 ।
(16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजीत कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।